डीजे पर हाई कोर्ट नाराज कहा- अब देरी नहीं चलेगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः त्योहारों और सामाजिक आयोजनों में डीजे और साउंड बाक्स से होने वाले शोर-शराबे पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को जनहित याचिका पर हुई सुनवाई में राज्य शासन ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन सीजे रमेश सिन्हा ने साफ कहा कि अब और देरी नहीं चलेगी। अदालत ने शासन को केवल तीन सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई की तारीख 9 सितंबर तय कर दी।

रायपुर की एक नागरिक समिति ने डीजे और साउंड सिस्टम से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। इस बीच समाचार पत्रों में लगातार शिकायतें छपने के बाद अदालत ने भी स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मौजूदा कानून में सख्ती नहीं है। केवल 500 से 1,000 रुपये का जुर्माना लगाकर मामला खत्म कर दिया जाता है। न तो उपकरण जब्त होते हैं और न ही कड़े नियम लागू किए जाते हैं। सख्ती नहीं होने से मनमानी जारी है।

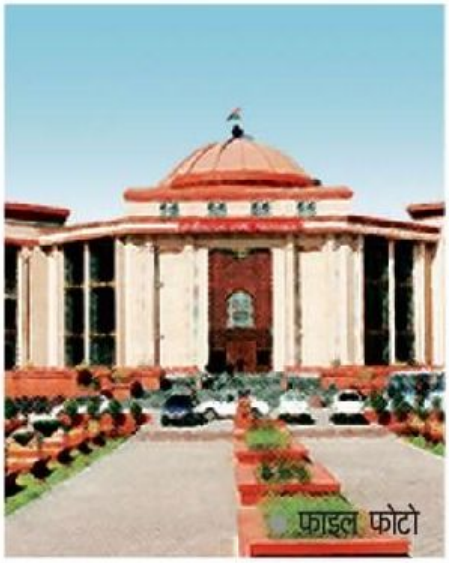

फाइल फोटो

डीजे संचालकों की ओर से भी याचिका

इस जनहित याचिका के साथ-साथ डीजे संचालकों की ओर से भी हस्तक्षेप याचिका लगाई गई है। उनका कहना है कि कई बार पुलिस उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर रही है, इसलिए नियम लागू होने से पहले स्पष्ट गाइडलाइन तय होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि शासन पहले ही एक्ट लागू करने का वादा कर चुका है, अब और बहाने नहीं चलेंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 3 सप्ताह में मसौदा तैयार कर रिपोर्ट पेश करें। अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

कोर्ट ने जताई चिंता

सुनवाई के दौरान अदालत ने न सिर्फ डीजे बल्कि लेजर और बीम लाइट से होने वाली परेशानियों पर भी चिंता जताई। साथ ही कहा कि, डीजे का तेज शोर दिल के रोगियों के लिए खतरनाक है और लेजर लाइट से आम लोगों की आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। सरकार को इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

सरकार ने यह दी सफाई

शासन की ओर से बताया गया कि डीजे और वाहन माउंटेड साउंड सिस्टम पर लेजर लाइट पहले से प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। बार-बार उल्लंघन करने पर वाहनों को जब्त भी किया जाता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत नियम तोड़ने वालों को 5 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।